भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(एएस-आई प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या:800-67/2009-वीएएस

दिनांक 09 दिसम्बर, 2009

सेवा में,

सभी मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा लाइसेंसधारक

विषय: देश के विभिन्न जोनों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा लाइसेंस समझौते में संशोधन।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 50.4 के अंतर्गत लाइसेंसप्रदाता को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ, टेलीग्राफ की समुचित व्यवस्था के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस के नियम एवं शर्तों को किसी भी समय संशोधित करने का अधिकार आरक्षित रखते हुए, लाइसेंसप्रदाता उक्त लाइसेंस में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित धारा को शामिल करता है यथा:

"50.5क लाइसेंसधारी, लाइसेंस के तहत दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था हेतु उपकरण/उपस्कर की प्राप्ति/संवर्धन हेतु अंतिम क्रय आदेश प्रस्तुत करने से पहले मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) सहित निर्माताओं और उपकरण (उपकरणों) एवं उपकरण (उपकरणों) के आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरे के साथ-साथ, सुरक्षा मंजूरी के लिए लाइसेंसप्रदाता को आवेदन करेगा। यदि लाइसेंसप्रदाता से 30 कार्य दिवस के अन्दर कोई जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि ऐसी अधिप्राप्ति में कोई आपत्ति नहीं है।"

(विनोद कुमार)
निदेशक (एएस-II)
टेलीफोन: 23718054

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, टीआरएआई, नई दिल्ली
2. वायरलेस सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग, नई दिल्ली
3. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली
4. उपमहानिदेशक(सुरक्षा)/उपमहानिदेशक(एएसII)/उपमहानिदेशक(एएसI)/उपमहानिदेशक(एलएफ)/ उपमहानिदेशक (सीएस), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली
5. उपमहानिदेशक (सी एंड ए), दूरसंचार विभाग; दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. संबंधित लाइसेंस समझौता फाइलें।